भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 882
दिनांक 27.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

होगेनक्कल एकीकृत पेयजल परियोजना (चरण-III)

882 श्री आर. गिरिराजनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार का ₹2,283 करोड़ का हिस्सा जारी न होने के कारण होगेनक्कल एकीकृत पेयजल परियोजना (चरण-III) का काम धीमी गति से चल रहा है, और यदि हाँ, तो इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार के हिस्से की निधि जारी किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए लंबित निधि को शीघ्र जारी करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं; और
(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य में पेयजल परियोजनाओं को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन के माध्यम से नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित पीने योग्य जल उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने के लिए, भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, तमिलनाडु राज्य में केवल 21.76 लाख (17.37%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, 18.07.2026 तक राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 90.88 लाख

और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, राज्य के लगभग 125.26 लाख ग्रामीण परिवारों में से 112.64 लाख (89.92%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

तमिलनाडु राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, तमिलनाडु सरकार की राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) ने जून 2023 में होगेनक्कल जल आपूर्ति परियोजना, चरण- III को मंजूरी दे दी है; तथापि, इस परियोजना को मिशन अवधि के भीतर सौंपा नहीं जा सका।

मार्च 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन और संवर्धित परिव्यय के साथ जेजेएम अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।

इसके अलावा, जेजेएम 2.0 के तहत प्रभावी आयोजना और कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा एक संरचित और एकीकृत ढांचा अर्थात् व्यापक कार्यान्वयन और सुधार आयोजना (सीआईआरपी) तैयार की जानी है। सीआईआरपी मिशन आयोजना, प्राथमिकता, योजना और सुधार कार्यान्वयन, निधि आवंटन तथा निगरानी के लिए प्रमुख मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, जेजेएम 2.0 के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए, जेजेएम 2.0 के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार जेजेएम के तहत शुरू किए गए कार्यों के उपयोग के लिए तमिलनाडु राज्य को अस्थायी रूप से 2,177.27 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

इसके अलावा, तमिलनाडु सहित पूरे देश में जेजेएम की आयोजना एवं कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार, प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करना, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा आदि शामिल हैं। जेजेएम और जेजेएम 2.0 के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्यसंबंधी दिशानिर्देश; ग्रामीण परिवारों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका तथा जल जीवन मिशन की प्रभावी आयोजना और कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, आश्रमशालाओं और स्कूलों में पाइपगत जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष अभियान पर दिशानिर्देश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के साथ साझा किए गए हैं। ऑनलाइन निगरानी के लिए, जेजेएम-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) और जेजेएम-डैशबोर्ड स्थापित किए गए हैं। एसएनए-स्पर्श/सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, कार्यदक्षता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन के तहत मौजूदा निगरानी तंत्र के कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण हेतु, ग्राम/जिला डैशबोर्ड तथा ग्राम स्तर के डैशबोर्ड को ई-ग्रामस्वराज पोर्टल से जोड़ने, जिला कलेक्टरों का पेयजल संवाद, आईएमआईएस मॉड्यूल के माध्यम से राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों (एनडब्ल्यूई) की भूमिका को संस्थागत बनाने, तीसरे पक्ष के निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) की भूमिका, संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग को सुदृढ़ बनाना, स्रोत स्थिरता को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली, सामुदायिक प्रबंधित पाइपगत जल प्रणालियों संबंधी पुस्तिका, एकीकृत पाइपगत जल प्रणाली के लिए विशिष्ट आईडी आदि जैसे कदम हाल ही में जेजेएम के तहत उठाए गए हैं।
